कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 280/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 18.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति
थाना – पवई, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 18.07.2026

महिला पर जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार, पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस व नकदी बरामद

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक **16.07.2026** को थाना पवई क्षेत्रान्तर्गत कस्बा पवई में एक महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त **सुजीत मौर्य** महिला को एकतरफा रूप से पसंद करता था तथा लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। घटना के दिन रात्रि लगभग **08:30 बजे** महिला अपने घर पर मोबाइल फोन से बातचीत करते हुए घर के अंदर गई। उसी दौरान अभियुक्त चोरी-छिपे उसके पीछे घर में प्रवेश कर गया तथा घर के अंदर छिप गया। जब महिला ने उसे देखा और शोर मचाना शुरू किया तो अभियुक्त ने पास में पड़े धारदार हथियार से महिला की **गर्दन पर लगातार दो वार तथा हाथ पर एक वार** कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया। घायल महिला को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा तहरीर एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना पवई पर **मु0अ0सं0 176/2026, धारा 109(1)/118(1) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग बनाम सुजीत मौर्य पुत्र राम मगन मौर्य, निवासी कस्बा पवई, थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 33 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया तथा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश एवं तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारीपुलिस मुठभेड़ का विवरण/-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **17/18.07.2026** की रात्रि थाना पवई पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र में गश्त कर रही थी।इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना का वांछित अभियुक्त **सुजीत मौर्य** खंडोरा अंडरपास के पास छिपा हुआ है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को अपने निकट आता देख अभियुक्त ने स्वयं को घिरा हुआ पाकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, किन्तु उसने पुनः तमंचा लोड करने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हुए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई भेजा गया।

➡ पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसी ने दिनांक 16.07.2026 को महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए आसपास के क्षेत्र में छिपा हुआ था तथा मौका मिलते ही फरार होने की योजना बना रहा था।

अन्य वैधानिक कार्यवाही-

घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा कर आवश्यक वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए। घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समस्त वैधानिक कार्यवाही संपादित की गई। घायल अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरणः-

- एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- जामा तलाशी से ₹220/- नगद

पंजीकृत अभियोग-

1. **मु0अ0सं0 176/2026**, धारा **109(1)/118(1) बीएनएस**, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
2. पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग एवं अवैध शस्त्र रखने के संबंध में धारा **109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम-

- थानाध्यक्ष मनीष पाल
- उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्रा
- का0 जमीदार विश्वकर्मा
- का0 हिमांशु सिंह
- का0 संजीव कुमार यादव
- का0 अमित पाल
- रि0का0 अभिनन्दन
- रि0का0 अनुपम यादव
- रि0का0 शिवमणि त्रिपाठी
- रि0का0 संदीप कुमार मौर्य

उत्तर प्रदेश पुलिस